

न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम देवनारायण पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर नि.नांगलगोविंद

मिसल न. 22/2023

निर्णय दिनांक-11.09.2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल गोविंद ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय में प्रस्तुत कि की अतिक्रमी देवनारायण पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर निवासी नांगल गोविंद तहसील लवाण ने ग्राम नांगल गोविंद के आराजी खसरा न.621 किस्म चरागाह कुल रकबा 0.80 है० भूमि पर संवत् 2080 फसल वर्ष खरीफ में से रकबा 0.10 है० पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी की तरफ से अतिक्रमण नहीं करने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया । जिससे अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर बने बाड़े से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.90 रु. का 50 गुना 45 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक हिंगोटिया एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल नांगल गोविंद को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11.09.2023 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।



(राजेंद्र मोहन)

तहसीलदार लवाण
जिला दौसा (राज.)
जिला दौसा(राज.)